न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील (LRएक्ट) सं. 03/2019

1. श्रीमती नैन कॅवर पत्नि स्व श्री जसवन्त सिंह (फौत)
2. यशोदा कंवर पुत्री स्व0 श्री जसवन्त सिंह (फौत) जरिये वारिसान
2/1. पूरणसिंह पुत्र श्रीमति यशोदा
2/2. प्रतापसिंह पुत्र श्रीमति यशोदा
2/3. गज्जू कंवर पुत्री श्रीमति यशोदा
2/4. संतोष कंवर पुत्री श्रीमति यशोदा
3. छगन कंवर पुत्री स्व0 जसवन्त सिंह
4. संतोष कंवर पुत्र स्व0 जसवन्त सिंह
5. ओम कंवर पुत्री स्व0 जसवन्त सिंह
6. हनुमान सिंह पुत्र स्व0 जसवन्त सिंह
7. शंकर सिंह पुत्र स्व0 श्री जसवन्त सिंह (फौत) जरिये वारिसान
7/1. उम्मेद कंवर पत्नि स्व0 श्री शंकर सिंह
7/2. भॅवर कंवर पुत्री स्व0 श्री शंकर सिंह
7/3. पदम कंवर पुत्री स्व0 श्री शंकर सिंह
7/4. इन्द्र कंवर पुत्री स्व0 श्री शंकर सिंह
7/5. चैन कंवर पुत्री स्व0 श्री शंकर सिंह
7/6. इलकेश कंवर पुत्री स्व0 श्री शंकर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी भांवता तहसील व जिला अजमेर ....अपीलार्थीगण

बनाम

1. तेजसिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति राजपुत निवासी भांवता तहसील व जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर .....रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थित :– 1. श्री अजीतसिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांक – 31.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भांवता तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. 151 नये, पुराने 159 के ख.नं. 1509 रकबा 12–12–00 बारानी–3, 1514 मिन रकबा 06–01–00 बा.–3, 1617 रकबा 3–08–10 चाही–3, 1620 रकबा 01–14–10 चाही–1, 1626 रकबा 0–16–10 चाही–2, 1628 3–00–00 चाही–2, 1658 1–04–10 चाही–1, 1661 रकबा 1–00–00 चाही–1 कुल किता 8, कुल रकबा 29–17–00 बीघा जिनके आधार खसरा नं0 ख.नं. 1359 रकबा 00–20, 1361 रकबा 0–48, 1362 रकबा 0–13, 1371/3518 रकबा 0–04, 1372 रकबा 0–05, 1373 रकबा 0–19, 1375/3511 रकबा 0–06, 1376 रकबा 0–10, 1383 रकबा 0–55, 1386/3504 रकबा 0–21, 1388/3505 रकबा 0–41, 1389 रकबा 1.41, 1389/3882 रकबा 0.01, 1396/3510 रकबा 0–10 तथा 1397 रकबा 0–88 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 4–82 हैक्टर भूमि अपीलान्टस के पूर्वज श्री

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

जसवन्त सिंह पुत्र छोटू सिंह की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात चली आ रही थी। अपीलान्ट्स जसवन्तसिंह पुत्र छोटूसिंह के पारिवारिक सजरा अनुसार वर्तमान में अपीलान्ट्स उनके विधिक वारिसान है। जसवन्तसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह का स्वर्गवास होने पर ग्राम पचांयत भावता द्वारा जरिए नामान्तरकरण संख्या 502 अपीलान्ट्स का नाम वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में दर्ज किया गया। किन्तु ग्राम भांवता निवासी अन्य श्री जसवन्तसिंह पुत्र छोटूसिंह का स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 11.6.1993 द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 106 रकबा 3–14–00 बीघा एवं 307 रकबा 5–9–10 बीघा बाबत तस्दीक किया गया लेकिन उसमें अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खाता संख्या 109 वर्किंग जमाबन्दी अनुसार खसरा कुल किता 8 रकबा 29–17–00 बीघा भी शामिल करते हुए आधार जमाबन्दी में अन्य जसवन्तसिंह के वारिसान श्रीमती लाडकँवर पत्नि स्व0 श्री जसवन्तसिंह एवं तेजसिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह के नाम अमल दरामद कर दिया गया। अन्य जसवन्तसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह के पारिवारिक सजरे अनुसार विधिक वारिस लाडकंवर एवं तेज सिंह है। जब कि अपीलान्ट्स जसवन्तसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह के वारिसान है। नायब तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलान्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात खाता संख्या 159 कुल किता 8 रकबा 29–17–00 बीघा को अन्य जसवन्त सिंह पुत्र छोटूसिंह की विरासत दर्ज करते हुए आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 11.6.1993 में दर्ज कर दी गई, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 स्वयं उपस्थित आये तथा अपील तथ्य स्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अपील बहस हेतु नियत की जाकर उपस्थित की बहस सुनी गई। प्रथमतः हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण उचित समझते है। इस बाबत रेस्पोडेन्ट्स का एतराज नहीं होने से मियाद प्रार्थना पत्र तथ्यों के मध्यनजर न्यायहित में प्रा0 पत्र धारा 5 मयाद अधि0 स्वीकार कर अपील मयाद में शुमार करते हुऐ गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित नहीं आये, उनके जवाब कथनों को ही उनकी बहस मानते हुए उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस अपील सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भांवता तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. 151 नये, पुराने 159 के कुल किता 8, कुल रकबा 29–17–00 बीघा जिनके आधार खसरा नं0 ख.नं. 1359 1361, 1362, 1371/3518, 1372, 1373, 1375/3511, 1376, 1383, 1386/3504, 1388/3505, 1389, 1389/3882, 1396/3510 तथा 1397 कुल किता 15 कुल रकबा 4–82 हैक्टर भूमि अपीलान्टस के पूर्वज श्री जसवन्त सिंह पुत्र छोटू सिंह की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात है। जसवन्तसिंह पुत्र छोटूसिंह के पारिवारिक सजरा अनुसार वर्तमान में अपीलान्ट्स उनके विधिक वारिसान है। अपीलान्ट्स के पूर्वज जसवन्तसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह का स्वर्गवास होने पर ग्राम भावता की उपरोक्त आराजियात, ग्राम पचांयत भावता द्वारा जरिए विरासती नामान्तरकरण संख्या 502 वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में अपीलान्ट्स का नाम दर्ज किया गया। ग्राम भांवता निवासी अन्य श्री जसवन्तसिंह पुत्र छोटूसिंह का स्वर्गवास होने पर विरासती नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 11.6.1993 द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 106 रकबा 3–14–00 बीघा एवं 307 रकबा 5–9–10 बीघा बाबत

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

तस्दीक किया गया लेकिन उसमें अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खाता संख्या 159 वर्किंग जमाबन्दी अनुसार खसरा कुल किता 8 रकबा 29–17–00 बीघा भी शामिल करते हुए उक्त अन्य जसवन्तसिंह पुत्र श्री छोटू सिंह के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम त्रूटिपूर्ण रूप से तस्दीक किया जाकर आधार जमाबन्दी में अन्य जसवन्तसिंह के वारिसान श्रीमती लाडकॅवर पत्नि स्व0 श्री जसवन्तसिंह एवं तेजसिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह के नाम अमल दरामद कर दिया गया। अन्य जसवन्तसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह के पारिवारिक सजरे अनुसार उनके विधिक वारिस लाडकंवर एवं तेज सिंह है। जब कि खाता संख्या 159 कुल किता 8 रकबा 29–17–00 बीघा के खातेदार काश्तकार जसवन्तसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह के वारिसान, अपीलान्ट्स है। नायब तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलान्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात खाता संख्या 159 कुल किता 8 रकबा 29–17–00 बीघा जरिये नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 11.6.1993 अन्य जसवन्त सिंह पुत्र छोटूसिंह की विरासत दर्ज करते हुए गलत रूप से दर्ज कर तस्दीक कर दिया गया। जिसे दुरूस्त कराने हेतु अपीलान्ट हनुमान सिंह पुत्र जसवन्तसिंह द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सन् 2018 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर पटवारी हल्का भावंता एवं भू–अभिलेख निरीक्षक सराधना द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि "ग्राम भांवता की वर्किंग जमाबन्दी में खाता संख्या 151 के खातेदार जसवन्त सिंह वल्द छोटूसिंह कौम राजपूत खातेदार के रूप में दर्ज था, तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 3.3.2001 जरिये विरासत से मु0 नैन कॅवर बेवा जसवन्तसिंह, यशोदा कंवर, छगन कंवर , संतोष कंवर, ओम कंवर, पुत्रीया जसवन्तसिंह व हनुमान सिंह वल्द जसवन्तसिंह, मु0 उम्मेद कंवर बेवा शंकर सिंह, भंवर कंवर, पदम कंवर, इन्द्रकंवर, चैन कंवर इलकेश पुत्रीया शंकर सिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज की परन्तु मिसल बन्दोबस्त में खातेदार लाडकंवर पत्नि जसवन्त सिंह, तेज सिंह वल्द जसवन्त सिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज किया गया है, जिसे दुरूस्त कर वर्किंग जमाबन्दी के खाता अनुसार इन्द्राज दर्ज किया जाना उचित है।" तहसीलदार द्वारा भी रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है अंकित किया किन्तु शिविर अधिकारी द्वारा सहखातेदार को नहीं सुना जाने एवं संलग्न दस्तावेज प्रमाणित नहीं होना मानते हुए आवेदन पत्र संग्रहित किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त त्रूटि को दुरूस्ति हेतु अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। अपील तथ्यों को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तेजसिंह पुत्र जसवन्तसिंह द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा0 सं0 195 दिनांक 11.6.1993 तत्कालीन खाता संख्या 159 कुल किता 8 रकबा 29–17–00 बीघा की हद तक निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 502 के अनुसार वर्किंग जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज आधार जमाबन्दी मे यथावत अपीलान्ट्स के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट का जवाब कथन है कि अपील के पैरा संख्या 01 लगायत 07 में वर्णित तथ्य प्रस्तुत रूप से स्वीकार है। किन्तु अपील में वर्णित आराजी के अलावा जमाबन्दी सवंत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया 743 पुराना 747, 748, 749 में दर्ज खसरा नं0 1359 1361, 1362, 1371/3518, 1372, 1373, 1375/3511, 1376, 1383, 1386/3504, 1388/3505, 1389, 1389/3882, 1396/3510 तथा 1397 कुल किता 15 कुल रकबा 4–82 हैक्टर भूमि अपीलान्टस के पूर्वज श्री जसवन्त सिंह पुत्र छोटू सिंह की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात को छोडकर खसरा नं0 2639 रकबा 0.16 हैक्टर व 2642 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही 1 रेस्पोडेन्ट तेजसिंह वल्द जसवन्त सिंह की खातेदारी भूमि है जिसमें अपीलान्ट्स का किसी भी तरह का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। इन दो खसरान भूमि को छोडकर अपील स्वीकार की

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

जाती है तो रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का कोई उज्र ऐतराज नहीं होगा। राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वर्किंग जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट्स के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टस का मुख्य तर्क यह है कि नामा. सं. 195 दिनांक 11.06.1993 के द्वारा जमाबन्दी संवत् 2072–2075 में वर्तमान खाता संख्या 743, पुराना खाता संख्या 747, 748, 749 में दर्ज वर्तमान खसरा संख्या 1359 1361, 1362, 1371/3518, 1372, 1373, 1375/3511, 1376, 1383, 1386/3504, 1388/3505, 1389, 1389/3882, 1396/3510 तथा 1397 कुल किता 15 कुल रकबा 4–82 हैक्टर भूमि अपीलान्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात है। तथा खसरा संख्या 2639 रकबा 0–16 हैक्टर एवं खसरा संख्या 2642 रकबा 0–16 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0–32 हैक्टर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तेजसिंह की आराजी है। ग्राम भावंता में अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पूर्वज दोनो का नाम जसवन्त सिंह पुत्र छोटूसिंह होने से सहवन से आक्षेपित नामान्तरकरण के जरिये अपीलान्ट्स के पूर्वज की आराजी जो विरासती नामान्तरकरण संख्या 502 दिनांक 3.3.2001 से अपीलान्ट्स के नाम दर्ज की गई को अन्य जसवन्तसिंह (रेस्पोडेन्ट तेजसिंह के पिता) की मृत्यु उपरान्त विरासती नामान्तरकरण संख्या 195 दिनाक 11.6.1993 में, साथ में दर्ज कर दी गई। इसी की दुरूस्ती हेतु अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। अपील तथ्यों को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तेजसिंह पुत्र जसवन्तसिंह द्वारा भी अपने इकबाली जवाब में स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 2639 एवं 2642 की आराजी को छोडकर अन्य आराजी अपीलान्ट्स के पक्ष में दर्ज किये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि

(1) अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन विरासती नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 11.06.1993 के निस्तारण से पूर्व समस्त तथ्यों की भली भांति जांच नहीं की गई, ना ही खातेदारान से इस बाबत जानकारी ली गई।
(2) आक्षेपित नामान्तरकरण में अपीलान्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी आराजियात गलत रूप से दर्ज की गई।
(3) आक्षेपित नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 11.06.1993 को अपीलान्ट्स की खातेदारी की आराजियात की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इन निर्देशों के प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, सभी तथ्यों का भली भांति परीक्षण कर नये सिरे से गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश 30 दिवस में पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner